RCMS 2018/00045

FORM No. III

फर्द अहकाम (नियम 26)

(सारसोप) ①

दालत उप जिला मजिस्ट्रेट मुकाम चौथ का बरवाड़ा

कन्हैया बनाम नरेन्द्रसिंह

मुकदमा 251A नं. 7 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए
3.5.18	पत्रावली पेश हुई । कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया जो पूर्ण है । पत्रवली दर्ज रजिस्टर की जावें । प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण की तबली हेतु नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 12.6.18 को पेश हो ।	3611–3615 कैम्प 3-5-18 सारसोप में
12.6.18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सारसोप में पेश हुई । अप्रार्थीगण की तरफ से श्री कपिल कुमार महावर व श्री रामकेश मीना द्वारा वकालात नामा मय जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया । वकील प्रार्थी अनुपस्थित । पत्रावली 30.6.18 को मेगा कैम्प अटल सेवा केन्द्र चौथ का बरवाड़ा पेश हो ।	
30.6.18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत मेगा कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र चौथ का बरवाड़ा पेश हुई । उभय पक्ष उप० । तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जो शामिल पत्रावली की गयी । प्रार्थी अनुसार ग्राम सारसोप स्थित उसकी खातेदारी भूमि खसरा सं० 2655 रकबा 1.19 हैक्ट० हि० 1/3 में आने जाने के लिए खसरा 2639, 2646 व 2647 में से होकर 10 फुट चौड़ा रास्ता पूरी लम्बाई में दिलवाया जावे । रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए खसरा सं० 2902 किस्म गै.मु. रास्ता (सिवायचक) से ख.सं० 2652, 2651 किस्म गै.मु. नाली से होकर रास्ता मौके पर आवागमन के काम आ रहा है और यही से होकर रास्ता दिया जाना उचित है । अप्रार्थी द्वारा भी यही से रास्ता दिये जाने के लिए सहमति व्यक्त करते हुए जवाब दिया गया । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, जवाब अप्रार्थी	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व ता... जो हुक्म ... में ...
	रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा 251 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है न ही तहसीलदार की रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत की है। प्रार्थी को खातेदारी भूमि पर पहुंचने हेतु तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है जो वर्तमान में चालू भी है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी चाहे तो पुनः प्रार्थनापत्र से संबंधित तथ्यों की जांच कर नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर दर्ज न० से कम हो। उप ... कलेक्टर [illegible]	